



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 08 माह का कारावास व 2000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 102/2019 धारा- 18/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एनडीपीएस एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर (हिस्ट्रीशीटर) अभियुक्त सोनू सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम भेंडीडांडा थाना जलालपुर को दोषसिद्ध हुए 08 माह का कारावास व 2000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी
प्रवीण कुमार भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 नन्दकिशोर
यादव



पैरोकार
थाना- जलालपुर
हे0का0 मनोज सिंह